रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2015/कार्तिक 1, 1937
No. 353] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2015/KARTIKA 1, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद,19 अक्तूबर, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन)
विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/17/107/2015.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए के साथ पठित धारा 3, तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से लॉयड्स को छोड़कर पुनर्बीमा व्यवसाय में कार्यरत अन्य विदेशी कंपनी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय" से वह आवेदक अभिप्रेत है जिसको पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(ङ) "निवल स्वाधिकृत निधि" (एनओएफ) में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(i) प्रदत्त शेयर (इक्विटी) पूँजी,

(ii) निर्बंध आरक्षित निधियाँ,

(iii) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा
जिसकी राशि में से निम्नलिखित को घटाया जाता है

(iv) संचित हानियाँ,

(v) अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य,

निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की गणना पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर की जानी चाहिए तथा तुलन-पत्र की तारीख के बाद जुटाई गई कोई भी पूँजी निवल स्वाधिकृत निधि की गणना करते समय हिसाब में नहीं ली जानी चाहिए।

(च) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम,1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण

3. पंजीकरण की प्रक्रिया – (1) अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करने का इच्छुक आवेदक फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1 में पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदक, पंजीकरण के आवेदन के लिए जिसका माँग-पत्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया हो, पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र – आवेदक निम्नलिखित किसी एक श्रेणी में पुनर्बीमा व्यवसाय हेतु विनियम 3 के अधीन पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगाः

(क) श्रेणी I – वे जो भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) के साथ समान रूप से अध्यर्पणों (सेशन्स) के अधिमान के क्रम से युक्त हैं।

(ख) श्रेणी II – अन्य।

5. पात्रता मानदंड – प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर भारत में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए आवेदकों से पंजीकरण के आवेदन हेतु माँग-पत्र के लिए अनुरोधों पर विचार कर सकता है किः

(क) आवेदक ने प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल करने के समय अपने देश के विनियमनकर्ता से पूर्व-अनुमोदन अथवा सिद्धांत रूप में अनुमति प्राप्त की है।

(ख) आवेदक को एक राष्ट्रीय विनियामक परिवेश में पंजीकृत अथवा प्रमाणित किया जाएगा और जिसके साथ भारत सरकार ने दोहरे कराधान अपवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हों।

(ग) आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि किसी भी समय पाँच हजार करोड़ रुपये की निर्धारित राशि से कम नहीं होगी।

(घ) आवेदक पिछले 3 वर्षों में किसी भी प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त ऐसे न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग से युक्त होगा जिसमें कम से कम अच्छी वित्तीय प्रतिभूति विशिष्टताएँ हों।

(ङ) आवेदक कम से कम 10 वर्षों के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय में रह चुका होगा।

(च) आवेदक के पास अपने देश के विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित सॉल्वेंसी मार्जिन होगा।

(छ) आवेदक शाखा कार्यालय में एक सौ करोड़ रुपये की न्यूनतम समनुदेशित पूँजी लगाएगा।

(ज) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी भी अन्य अपेक्षा का पालन करेगा।

6. प्राधिकरण बीमा और पुनर्बीमा बाजार की व्यवस्थित वृद्धि, राष्ट्रीय हित और किन्हीं अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए जिन पुनर्बीमाकर्ताओं को अनुमति दी जा सकती है उनकी संख्या के विषय में निर्णय ले सकता है।

7. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र – (1) कोई भी आवेदक माँग-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए तभी पात्र होगा, यदि ऐसा आवेदक पंजीकरण किये जाने के बाद अधिनियम की धारा 2(9)(घ) में परिभाषित रूप में एक बीमाकर्ता होगा।

बशर्ते कि आवेदक जिसका,-

(i) पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र की तारीख को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार किया गया हो; अथवा

(ii) पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र की तारीख को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार किया गया हो; अथवा

(iii) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त किया गया हो अथवा वापस लिया गया हो;

इस विनियम के अधीन पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) आवेदक द्वारा पंजीकरण के आवेदन के लिए प्रत्येक माँग-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये जाएँगेः

(क) संस्था के बहिर्नियम अथवा संस्था के अंतर्नियम अथवा तदनुरूपी प्रलेख की प्रमाणित प्रति जिसमें उसके निर्माण की विधि और उसके व्यवसाय के संचालन का विवरण दिया गया हो;

(ख) भारत में परिचालनों के प्रभारी के रूप में प्रस्तावित व्यक्ति का नाम, स्थिति, पता और व्यवसाय;

(ग) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में समनुदेशित पूँजी डालने (इन्फ्यूज़न) के संबंध में निर्दिष्ट करते हुए विवरण;

(घ) पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र दाखिल करने के वर्ष से पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति;

(ङ) आवेदक के स्वदेश के विनियमनकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रति कि पुनर्बीमाकर्ता ने भारत में शाखा कार्यालय खोलने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की है;

(च) आवेदक के निदेशक बोर्ड अथवा प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसा लागू हो, से पारित संकल्प द्वारा समर्थित आवेदक का चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट), कि वह हर समय शाखा कार्यालय की सभी देयताओँ को पूरा करेगा;

(छ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कोई भी अन्य अपेक्षा।

8. अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण, आदि प्रस्तुत करना – प्राधिकरण पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार करने के लिए संगत विषयों के संबंध में अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा आवेदक से कर सकता है।

9. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार – (1) पंजीकरण के आवेदन के लिए आवेदक के माँग-पत्र पर विचार करते समय प्राधिकरण उसके द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय करने से संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देगा।

(2) विशेष रूप से और पूर्वोल्लिखित बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा, अर्थात्:-

(क) जिस कारोबार/व्यवसाय में आवेदक सक्रिय है, उसके क्षेत्र में आवेदक के आचरण और कार्यनिष्पादन का सामान्य पिछला रिकार्ड;

(ख) आवेदक के निदेशकों और प्रबंधन से संबद्ध व्यक्तियों के आचरण और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;

(ग) पुनर्बीमा व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए शाखा कार्यालय की प्रस्तावित बुनियादी संरचना;

(घ) पाँच परवर्ती वर्षों के लिए प्रस्तावित व्यावसायिक योजना;

(ङ) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य संबंधित विष्य।

(3) प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना से इस बात के लिए संतुष्ट होने पर कि–

(क) फार्म आईआरडीएआई/ पुनर्बीमा/ आर1 में माँग-पत्र पूर्ण है और हर प्रकार से सही है तथा उसके साथ उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज संलग्न हैं;

(ख) आवेदक का शाखा कार्यालय पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य करेगा;

माँग-पत्र को स्वीकार कर सकता है और आवेदक को पंजीकरण के आवेदन की आपूर्ति करने का निदेश दे सकता है।

10. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र की अस्वीकृति – (1) जहाँ विनियम 9 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो, वहाँ प्राधिकरण आवेदक को अपनी बात कहने का उचित अवसर देने के बाद पंजीकरण आवेदन के माँग-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा आवेदक को ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर लिखित में वह कारण बताते हुए जिसके आधार पर पंजीकरण आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार किया गया हो, सूचित किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक, उक्त निर्णय की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

अध्याय III

11. पंजीकरण के लिए आवेदन – (1) आवेदक, पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु जिसका माँग-पत्र स्वीकार किया गया हो, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म आईआरडीएआई/ पुनर्बीमा/आर2 में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएँगे –

(क) एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक समनुदेशित पूँजी रखने के साक्ष्य का दस्तावेजी प्रमाण;

(ख) यह प्रमाणित करते हुए आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त शपथ-पत्र कि समनुदेशित पूँजी की अपेक्षाएँ पूरी की गई हैं;

(ग) यह प्रमाणित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 6(2) की इस आशय की अपेक्षाएँ कि कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि पाँच हजार करोड़ रुपये से अधिक है, पूरी की गई हैं;

(घ) पंजीकरण शुल्क पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य भुगतान दर्शानेवाली रसीद;

(ङ) यह प्रमाणित करते हुए किसी व्यवसायरत सनदी लेखाकार अथवा व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र कि पंजीकरण शुल्क, समनुदेशित पूँजी और अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं से संबंधित सभी अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा पालन किया गया है;

(च) पंजीकरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने के दौरान प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।

12. आवेदन पर विचार – (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करने के लिए आवेदक के शाखा कार्यालय द्वारा पुनर्बीमा का व्यवसाय करने से संबंधित सभी विषयों को हिसाब में लेगा।

(2) विशेष रूप से और पूर्वोल्लिखित बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण का अध्यक्ष आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

(क) आवेदक के निदेशकों और प्रबंधन से संबद्ध व्यक्तियों के आचरण और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;

(ख) आवेदक के प्रस्तावित शाखा कार्यालय की बुनियादी संरचना;

(ग) प्रस्तावित जोखिम-अंकन के कौशल जो शाखा कार्यालय को अंतरित किये जाएँगे;

(घ) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य संगत विषय।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट होने पर कि-

(क) आवेदन फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 सभी प्रकार से पूर्ण है और उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) यथाविनिर्दिष्ट रूप में आवेदक पुनर्बीमा व्यवसाय करेगा;

पंजीकरण के लिए आवेदक के आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

13. पंजीकरण के लिए आवेदन का अस्वीकरण – (1) जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और विनियमों अथवा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2 में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, तथा विनियम 11, 12 और 15 में उल्लिखित विषय पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि पंजीकरण के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करना वांछनीय नहीं है, वहाँ प्राधिकरण का अध्यक्ष एक आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

बशर्ते कि आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करने से पहले प्राधिकरण द्वारा आवेदक को अपनी बात कहने के लिए एक उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर आवेदक को लिखित में वह कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा जिसके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट आवेदक निर्णय की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर उक्त निर्णय पर पूनर्विचार करने के लिए एसएटी को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

14. पंजीकरण के लिए शुल्क के भुगतान की विधि – पाँच लाख रुपये का वापस न करने योग्य शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को किसी मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा विप्रेषित किया जाएगा।

15.पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना– प्राधिकरण का अध्यक्ष, उचित समझी जाने वाली जाँच करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि –

(क) आवेदक पात्र है, और उनकी राय में यह संभावना है कि वह अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये दायित्वों का प्रभावी रूप से वहन करेगा;

(ख) आवेदक की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ हैं;

(ग) संभावित रूप से आवेदक को उपलब्ध होने वाले व्यवसाय की मात्रा और उसके अर्जन की संभावनाएँ पर्याप्त होंगी;

(घ) आवेदन में विनिर्दिष्ट की गई व्यवसाय की श्रेणी के संबंध में यदि आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है तो सामान्य जनता के हितों के लिए उपयुक्त होगा;

इन विनियमों के विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्बीमा श्रेणी के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के रूप में आवेदक को पंजीकृत कर सकता है जिसके लिए आवेदक उपयुक्त पाया गया हो तथा फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर3 में एक प्रमाणपत्र आवेदक को प्रदान कर सकता है।

16. विदेशी पुनर्बीमाकर्ताऔँ की शाखाओं के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली शर्तें

आवेदकों के शाखा कार्यालयों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करते समय प्राधिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करेगाः

क. आवेदक चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के निदेशक मंडल अथवा आवेदक के प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, के संकल्प की एक विधिवत् प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

ख. शाखा कार्यालय जोखिमों का अंकन (अंडरराइटिंग) और दावों का निपटान करने में सक्षम होगा।

ग. समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार न्यूनतम समनुदेशित पूँजी का निवेश किया जाएगा।

घ. आवेदक भारत में अपने शाखा कार्यालय में व्यवसाय की विशेषीकृत श्रेणियों का जोखिम-अंकन करने के लिए पर्याप्त रूप से कुशलता-प्राप्त स्टाफ को नियुक्त करने के लिए एवं इस बात का कि भारतीय व्यवसाय का जोखिम-अंकन भारतीय शाखा में किया जाएगा, एक पक्का वायदा करेगा।

ङ. आवेदक विभिन्न वर्गों के व्यवसाय को सँभालने में भारतीय जोखिम-अंकनकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वायदा करेगा।

च. आवेदक का शाखा कार्यालय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 तथा ऐसे कार्यालय के परिचालनों को नियंत्रित करने वाले प्रचलित किसी भी अन्य कानून की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

छ. शाखा कार्यालय जिस सीमा तक लागू हो, अपने परिचालनों में बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदि का अनुसरण करेगा।

17. समय-सीमाः आवेदक जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, पंजीकरण की तारीख से बारह महीने के अंदर पुनर्बीमा व्यवसाय प्रारंभ करेगा जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है।

तथापि, शर्त यह होगी कि यदि शाखा कार्यालय बारह महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर पुनर्बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने में समर्थ नहीं है, तो वह समय-सीमा की समाप्ति से पहले प्राधिकरण के अध्यक्ष को एक उपयुक्त लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा समय-सीमा बढ़ाने की अपेक्षा कर सकता है।

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष उक्त अनुरोध प्राप्त होने पर उसकी जाँच करेगा और उस अनुरोध को अस्वीकार करने अथवा समय-सीमा में वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिखित में सूचित करेगा।

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विनियम 15 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से अठारह महीने से अधिक समय-वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

अध्याय IV

18. वार्षिक शुल्क की गणना की पद्धति – (1) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय जिसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिसंबर के 31वें दिन तक प्राधिकरण को वार्षिक शुल्क अदा करेगा।

(2) उक्त वार्षिक शुल्क निम्नलिखित से अधिक होगा

(क) पाँच लाख रुपये, अथवा

(ख) जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित हो, उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में स्वीकृत विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग जो अधिकतम दस करोड़ रुपये के अधीन होगा।

19. (1) यदि विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय विनियम 18 में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क जमा नहीं करता, तो प्राधिकरण उक्त वार्षिक शुल्क का भुगतान निम्नलिखित अर्थदंड के रूप में अतिरिक्त शुल्क के साथ स्वीकार कर सकता है

क. वार्षिक शुल्क के दो प्रतिशत, यदि विनिर्दिष्ट तारीख से 30 दिन के अंदर भुगतान किया गया हो।

ख. वार्षिक शुल्क के दस प्रतिशत, यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले भुगतान किया गया हो।

(2) जहाँ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय वार्षिक शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं करता, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किये जाने के अधीन होगा।

20. वार्षिक शुल्क के भुगतान की विधि – वार्षिक शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में अदा किया जाएगा। उक्त वार्षिक शुल्क हैदराबाद में देय किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा किसी भी मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण विधि द्वारा विप्रेषित किया जाएगा।

21. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम – प्राधिकरण पॉच हज़ार रुपये का शुल्क प्राप्त करने पर विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय को पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है, यदि वह प्राधिकरण को फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर4 में आवेदन प्रस्तुत करे।

अध्याय-V

चूक की स्थिति में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

22. पंजीकरण का प्रमाण पत्र का निलंबन अथवा निरसन - (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाये जानेवाले किसी भी अर्थदंड अथवा की जानेवाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय का पंजीकरण जो –

(क) पॉलिसीधारकों अथवा अध्यर्पण करनेवाले (सीडिंग) बीमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करता है;

(ख) अपने पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता;

(ग) अधिनियम के अधीन अथवा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता;

(घ) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी जाँच-पड़ताल में सहयोग नहीं करता;

(ङ) पुनर्बीमा व्यवसाय के अंतर्गत छल-कपट करने में लिप्त है;

(च) अनुचित व्यापार कार्य-प्रणालियों में लिप्त है;

(छ) किसी भी समय, अपनी देयताओं की राशि की तुलना में अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य के आधिक्य के संबंध में अधिनियम की धारा 64वीबी के उपबंधों का पालन नहीं करता;

(ज) परिसमापन की स्थिति में है अथवा एक दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत है;

(झ) यदि प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना व्यवसाय अथवा व्यवसाय का एक वर्ग किसी व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता को हस्तांतरित किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय के साथ समामेलित किया गया है;

(ञ) अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा किसी विनियम अथवा किसी आदेश अथवा उसके अधीन जारी किये गये किसी निदेश की किसी अपेक्षा का पालन करने में चूक करता है, अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करता है;

(ट) पुनर्बीमा व्यवसाय अथवा किसी निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करता है;

(ठ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी निदेश अथवा दिये गये किसी आदेश का पालन करने में चूक करता है;

(ड) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी भी अपेक्षा का पालन करने में चूक करता है अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करता है;

(ढ) वार्षिक शुल्क अदा नहीं करता;

(ण) फ़िलहाल प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

पुनर्बीमा व्यवसाय की उस श्रेणी के लिए ऐसी अवधि के लिए निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा एक आदेश से विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

बशर्ते कि प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित प्रकार की पुनरावृत्त चूकों की स्थिति में लिखित में रिकार्ड किये जानेवाले कारणों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन का दंड लागू कर सकता है।

(2) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के किसी शाखा कार्यालय के मामले में प्राधिकरण पहले से किये गये पंजीकरण को रोक रख सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को पुनर्बीमा व्यवसाय करने से उसके स्वदेश के द्वारा कानून अथवा व्यवहार द्वारा विवर्जित (डिबार) किया गया है।

23. पंजीकरण का प्रमाण पत्र के निलंबन अथवा निरसन का आदेश बनाने की विधि – इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाँच आयोजित किये बिना निलंबन अथवा निरसन का कोई आदेश लागू नहीं किया जाएगा।

24. निलंबन अथवा निरसन के पहले जाँच आयोजित करने की विधि-

(1) विनियम 23 के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

(2) जाँच अधिकारी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय को उसके व्यवसाय के प्रधान स्थान पर एक नोटिस जारी करेगा।

(3) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर ऐसे दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्य, जिसपर वह निर्भर है अथवा जो प्राधिकरण द्वारा माँगा गया है, की प्रतिलिपियों के साथ एक उत्तर जाँच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) जाँच अधिकारी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय को सुनवाई का एक उचित अवसर देगा ताकि वह उप-विनियम (3) के अंतर्गत दिये गये अपने उत्तर के समर्थन में निवेदन कर सके।

(5) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कह सकता है।

(6) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय किसी प्राधिकृत कर्मचारी अथवा उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

परंतु यह शर्त होगी कि जाँच में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ उप-विनियम (5) के अधीन प्रस्तुतीकरण अधिकारी के रूप में प्राधिकरण द्वारा एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया हो, वहाँ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अपना मामला एक अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करे।

(7)जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा दिये जाने के लिए दंड की सिफारिश करेगा और प्रस्तावित दंड का औचित्य भी प्रतिपादित करेगा।

25. कारण बताओ नोटिस और आदेश:- (1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण उसपर विचार करेगा तथा यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए तो एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जानी चाहिए।

(2) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगा।

(3) प्राधिकरण उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर, यदि प्राप्त होता है, पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र, परंतु उत्तर, यदि कोई हो, की प्राप्ति से तीस दिन के अंदर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझेगा। यदि नोटिस के इक्कीस दिन के अंदर विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय द्वारा प्राधिकरण को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण इस विषय में एकपक्षीय तौर पर निर्णय करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के साथ उस आदेश के द्वारा लगाये गये दंड के औचित्य सहित, उसके लिए कारण दिये जाएँगे।

(5) प्राधिकरण उप-विनियम (3) के अधीन जारी किये गये आदेश की एक प्रति विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय को प्रेषित करेगा।

26. पंजीकरण का प्रमाण पत्र के निलंबन अथवा निरसन का प्रभाव – प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन की तारीख को और उस तारीख से विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय नया पुनर्बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगा।

27. आदेश का प्रकाशन – विनियम 25 के उप-विनियम (3) के अधीन पारित प्राधिकरण का आदेश उस क्षेत्र में जहाँ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के व्यवसाय का प्रधान स्थान है, कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय VI

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों के परिचालन

28. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय से संबंधित परिचालनगत विषयः

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता जिसे एक शाखा कार्यालय के रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, यह सुनिश्चित करेगा कि हर समय निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा तथा प्राधिकरण को अपने निदेशक बोर्ड अथवा आवेदक के प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, का आवश्यक अनुमोदन प्रस्तुत करेगा।

1. <u>भौगोलिक विस्तार</u> – विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय अपने द्वारा निर्धारित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय एवं भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय करेगा।
2. <u>समनुदेशित पूँजी</u> – विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय की समनुदेशित पूँजी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी। इस राशि का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।
3. <u>मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति</u> – विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, बरखास्तगी और उसको देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में प्राधिकरण का पूर्व- अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित `योग्यता और उपयुक्तता' (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करेगा। प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का विवरण उनके जीवनवृत्त (बायोडेटा) सहित पंजीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बाद होनेवाला कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के अंतर्गत मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम-अंकनकर्ता (अंडरराइटर) शामिल होंगे।
4. <u>अतिरिक्त कार्यालय खोलनाः</u> विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय कारण, संगठन स्रोत, सूचना-प्रणाली (रिपोर्टिंग), पर्यवेक्षण और मुख्य प्रशासन कार्यालय द्वारा नियंत्रण का ब्योरा देते हुए प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से देश के विभिन्न भागों में कार्यालय खोल सकता है। प्राधिकरण मामले के गुण-दोष के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकता है अथवा अनुमति देने से इनकार कर सकता है।
5. <u>बाह्य स्रोत का उपयोग (आउटसोर्सिंग):</u> विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय जोखिम-अंकन, दावों का निपटान और विनियामक अनुपालन जैसे मुख्य कार्यकलाप अपने पास रख सकता है; तथा बैक-ऑफ़िस सर्विसिंग, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), लेखा, विपणन, मानव संसाधन, प्रशासन और प्रचार जैसे कार्यों के लिए बाह्य स्रोतों का उपयोग (आउटसोर्सिंग) कर सकता है। प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना किसी भी अन्य कार्य का आउटसोर्सिंग नहीं किया जा सकता।
6. <u>लेखांकन</u> – विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय लेखा-विवरण सहित वित्तीय विवरणियाँ समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत करेगा।

7. <u>निवेश</u> – विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय निवेशयोग्य परिसंपत्तियों का निवेश आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार करेगा और उन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेगा, जहाँ तक ये विनियम भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू हैं।

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'निवेशयोग्य परिसंपत्तियों' के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं

क. भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाली देयताओं के अनुरूप परिसंपत्तियाँ अथवा भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय की देश में रखी जानेवाली प्रीमियम की राशि, जो भी अधिक हो, और

ख. प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) विनियमों के अनुसार गणना की गई ऋण-शोधन क्षमता का मार्जिन।

8. <u>पुनर्बीमा और पश्चगमन (रिट्रोसेशन):-</u> **(क)** विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा उन्हीं पुनर्बीमा विनियमों के अधीन होगी जो भारतीय बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के लिए लागू हैं।

(ख) शाखा कार्यालय जिसे विनियम 4(क) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो,

i) भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 50% का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा।

ii) जो 50% की न्यूनतम प्रतिधारण सीमा बनाये नहीं रखेगा, नीचे खंड (घ) में दी गई दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद, श्रेणी-II में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा।

iii) ऐसा शाखा कार्यालय जिसे उपर्युक्त खंड 8(ख)(ii) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया हो, भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध रूप में भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पणों (सेशन्स) के लिए अधिमानता-क्रम के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय ने उक्त 50% की न्यूनतम प्रतिधारण सीमा से छूट माँगते हुए आवेदन प्रस्तुत कर प्राधिकरण का विशिष्ट पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं किया हो।

(ग) शाखा कार्यालय जिसे विनियम 4(ख) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो

i) भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 30% का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा।

ii) जो 30% का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये नहीं रखता, नीचे खंड (घ) में दी गई दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद, 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय बीमा कंपनियों से नये पुनर्बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन नहीं करेगा, जब तक विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय ने उक्त 30% की न्यूनतम प्रतिधारण सीमा से छूट माँगते हुए आवेदन प्रस्तुत कर प्राधिकरण का विशिष्ट पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं किया हो।

(घ) विनिर्दिष्ट सीमाओं के किसी भी उल्लंघन को विनियमों के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा तथा इससे शाखा कार्यालय बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।

(ङ) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय पश्चगमन (रिट्रोसेशन) ऐसे पुनर्बीमाकर्ता के पास रख सकता है जिसके पास पिछले 3 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंन्सी से प्राप्त अच्छी वित्तीय प्रतिभूति विशिष्टताओं का न्यूनतम रेटिंग हो।

9. <u>भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पणों (सेशन्स) के लिए अधिमान-क्रम</u> –प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता अधिमान-क्रम में अपने विकल्पी (फैकल्टेटिव) और समझौता (ट्रीटी) अधिशेषों में सहभागिता के लिए निम्नलिखित को प्रस्ताव करेगाः

(क) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को अथवा उनको जिन्हें इन विनियमों के विनियम 4(क) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, अथवा अन्य भारतीय बीमाकर्ताओं को।

(ख) उनको जिन्हें इन विनियमों के विनियम 4(ख) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, केवल उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कम से कम तीन संस्थाओं को प्रस्ताव करने के बाद।

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित बीमाकर्ताओं के कार्यालयों को, केवल उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित कम से कम तीन संस्थाओं को प्रस्ताव करने के बाद।

(घ) तब शेष का प्रस्ताव विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को किया जा सकता है कम से कम तीन संस्थाओं को प्रस्ताव करने के बाद, केवल उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित कम से कम तीन संस्थाओं को प्रस्ताव करने के बाद।

10. शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन – विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की परिसंपत्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता) विनियम, 2000 में विनिर्दिष्ट किये गये तरीके से परिसंपत्तियों, देयताओं और शोधक्षमता मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं का विवरण तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।

11. अधिशेष का प्रत्यावर्तन – विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालयों के परिचालनों द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष का प्रत्यावर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से ही किया जाएगा। इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्राधिकरण संबंधित समस्त सूचना प्राप्त करेगा तथा इस बात से संतुष्ट होगा कि शाखा कार्यालय की परिसंपत्तियाँ उनकी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, अधिशेष का प्रत्यावर्तन, जैसा लागू हो, भारतीय रिज़र्व बैंक/ फेमा की अन्य अपेक्षाओं का पालन करेगा।

12. प्रत्यायोजित प्राधिकारः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और जाँच-पड़ताल का प्रबंध करेगा कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विवेकपूर्ण और युक्तियुक्त रूप से किया जाए तथा भारत में परिचालन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता भारत में स्थित शाखा कार्यालय में अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा भी करेगा जहाँ तक स्थानीय परिचालनगत अपेक्षाओं और प्रत्यायोजित प्राधिकार को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियों की पर्याप्तता का संबंध है। इस प्रकार की समीक्षा की एक प्रति वार्षिक तौर पर प्राधिकरण के पास दाखिल की जाएगी।

13. पर्यवेक्षण और नियंत्रणः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक समीक्षाओं की प्रणाली सहित सभी नियंत्रण संबंधी विवरणियों की समीक्षा करेगा जिससे प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा उनकी निरंतर अर्थक्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण/ लेखा-परीक्षा/ संवीक्षा के निष्कर्षों के सारांश तथा शाखाओं द्वारा प्रस्तुत और बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखे गये अनुपालन की एक प्रति भी प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

14. अन्य विषयः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय अपने स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा की गई किसी भी विनियामक और पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना प्राधिकरण को तत्काल पूरे विवरण और लागू किये गये अर्थदंड अथवा किसी प्रशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, तथा उसकी पुनरावृत्ति के निवारण के लिए कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई के ब्योरे के साथ देगा।

15. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय द्वारा प्राधिकरण को सूचना देने की अपेक्षाएँ- विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय यथानिर्धारित रूप में प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

i. वित्तीय सूचना

ii. बीमांकिक (ऐक्चुएरियल) सूचना

iii. व्यवसाय संबंधी सूचना

iv. ग्रेड कम होने (डाउनग्रेडिंग) की सूचनाः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग में ग्रेड कम करने की सूचना प्राधिकरण को संबंधित दस्तावेजों के साथ तत्काल देगा।

v. निवल स्वाधिकृत निधियों में कमीः विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की निवल स्वाधिकृत निधियों में 5% से अधिक गिरावट की सूचना शाखा कार्यालय प्राधिकरण को तत्काल देगा।

16. विवरणियाः प्राधिकरण विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय अथवा विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा ऐसी किसी अन्य विवरणी की प्रस्तुति, जैसा वह उपयुक्त समझे, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

17. प्राधिकरण की अतिरिक्त शक्तियाँ

क. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय से किसी भी दस्तावेज, अभिलेख अथवा पत्रादि की माँग, निरीक्षण अथवा जाँच करने का अधिकार प्राधिकरण के पास होगा।

ख. उपर्युक्त के बावजूद, जहाँ प्राधिकरण की राय है कि विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के परिचालन भारतीय बीमा बाजार के हित में नहीं हैं, वहाँ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण के निलंबन अथवा निरसन सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।

ग. प्राधिकरण के अनुमोदन से खोला गया विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का कोई भी शाखा कार्यालय केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से और पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने के बाद ही बंद किया जाएगा।

घ. कोई भी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता जिसका भारत में प्रतिनिधि कार्यालय है तथा जिसे शाखा कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, उक्त प्रतिनिधि कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से छह महीने के अंदर बंद करेगा।

ङ. स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकारः इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने के संबंध में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष समय-समय पर उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर1

[लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के लिए पंजीकरण आवेदन हेतु माँग-पत्र]

1. आवेदक का नामः
2. पताः
3. आवेदक के संस्थापन की तारीखः [दिन/ माह/ वर्ष]
4. पंजीकरण संख्याः (विदेश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्गत):
5. पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणीः जीवन/ साधारण/ सम्मिश्र
6. भारतीय बीमाकर्ताओं के अध्यर्पणों (सेशन्स) के अधिमान-क्रम हेतु आवेदित श्रेणीः

   [ ]श्रेणी-I / [ ] श्रेणी-II
7. प्राधिकृत पूँजी की राशि और शेयरों का अंकित मूल्यः
8. शाखा कार्यालय के कार्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति(यों) का नाम, पता और संपर्क का विवरण।

9. विनियामक प्राधिकरण का नाम और संपर्क का विवरण, जहाँ आवेदक पंजीकृत है।

10. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की ___________ को यथाविद्यमान (नवीनतम वित्तीय वर्ष) निवल स्वाधिकृत निधियाँ (एनओएफ)।

11. अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त पिछले 3 वर्षों के लिए क्रेडिट रेटिंग।

12. उन वर्षों की संख्या जब विदेशी पुनर्बीमाकर्ता विदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय में सक्रिय रहा है।

13. भारत में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए स्वीकृति देते हुए स्वदेश के विनियमनकर्ता से प्राप्त अनुमति

14. स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) मार्जिन

15. आवेदक का शोधक्षमता मार्जिन

16. शोधक्षमता मार्जिन का परिकलन करने का आधार

17. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शेयरधारकों का विवरणः

[कृपया पूरा नाम, पता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या और शेयर पूँजी का प्रतिशत दें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाना चाहिए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्म- तिथि	पता, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अर्हताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	इक्विटी (मताधिकार) शेयरों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पणीः यदि शेयरधारक कंपनी है या एक विदेशी देश में पंजीकृत एक निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन-क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ (4) और (6) खाली छोड़ें; पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखा-विवरण संलग्न करते हुए, व्यवसाय का स्वरूप और परिचालन के देश निर्दिष्ट करते हुए विवरण दिया जाए। सत्यनिष्ठापूर्वक पूरी और संपूर्ण सूचना देने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाए। यदि बाद में कोई गलत विवरण पाया जाता है तो उसके कारण आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा।

18. आवेदकः इस खंड में पृष्ठभूमि संबंधी सूचना निर्दिष्ट की जाए। निम्नलिखित जानकारी शामिल की जानी चाहिएः

- विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का विवरण (उदा. कंपनी का नाम, पता, निदेशकों के नाम आदि)
- व्यवसाय का स्वरूप, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के व्यवसाय में वर्ष।
- विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के संबंध में विनियामक हस्तक्षेप/ प्रतिबंधात्मक निदेशों का पिछला रिकॉर्ड।
- पुनर्बीमा बाजार में प्रवेश करने के लिए आवेदक के कारण।
- पिछले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय विवरण। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की क्षमताएँ।
- आवेदन प्रस्तुत करने के वर्ष को छोड़कर पिछले 3 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिया गया रेटिंग।
- आवेदक द्वारा दर्शाया गया भारतीय बाजार स्थान के प्रति प्रतिबद्धता की मात्रा का निर्देशन।
- विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा लिये गये दायित्व।

19. शाखा कार्यालय का विवरण

इस खंड में शाखा कार्यालय के मुख्य पहलू दिये जाएँगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगेः

- शाखा कार्यालय का नामः
- शाखा कार्यालय का पताः
  - पत्रादि के लिए पता (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर,मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और ऐसा अन्य विवरण दें) :
  - मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रमुख प्रबंध कार्मिक तथा दायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित)
- संगठनात्मक संरचना। रिपोर्टिंग संबंध।

20. पूँजी विन्यास

- समनुदेशित पूँजी की राशिः

21. आवेदक के निदेशकों और भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के परिचालनों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/ मुख्य जोखिम-अंकनकर्ता (सीयूओ)/ मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (प्रमुख कार्मिक) का विवरणः

विवरण अलग शीटों में प्रस्तुत करें, प्रोफार्मा नीचे दिया गया हैः-

- नाम (और कोई पिछले नाम)
- निजी और व्यावसायिक पता (पिछले 15 वर्षों के अंदर किन्हीं अन्य निजी पतों सहित), वर्तमान टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पतेः
- जन्म की तारीख और स्थान
- राष्ट्रीयता (और कोई पिछली राष्ट्रीयता)
- पासपोर्ट / पहचान पत्रः

  -संख्या

  -जारी करने की तारीख और स्थान

-समाप्ति की तारीख

-जारी करनेवाला प्राधिकारीः

- बैंक का नाम और पताः

  - खातों की संख्याएँ और खाते का प्रकारः

  - कंपनी को अथवा कंपनी की ओर से दिये गये किन्हीं ऋणों अथवा गारंटियों का विवरण जिसमें निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों का प्रबंधकीय अथवा शेयरधारिता संबंधी हित हो
- परिवार की स्थिति
- शैक्षिक अर्हताओं का विवरण और तारीखें:
- व्यावसायिक अर्हता का विवरण और तारीखेः
- प्रत्याशित स्थिति का विवरण (दायित्यों सहित) और प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख
- कार्य अनुभवः

  -वर्तमान और पूर्ववर्ती नियोजक (पिछले 15 वर्षों को शामिल करते हुए)

  -क्या निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों और / या उनके नियोजकों का औपचारिक रूप से पर्यवेक्षण अथवा विनियमन किया गया है, इसका विवरण

  -नियोजक के व्यवसाय का स्वरूप

  -पदनामः (कर्तव्यों और दायित्वों सहित)

  -नियुक्ति की तारीख

  -त्यागपत्र/ प्रस्थान की तारीख

  -पिछले 15 वर्षों में अन्य व्यावसायिक हितों का विवरण जहाँ निदेशक और प्रमुख व्यक्ति कार्यरत शेयरधारक, निदेशक अथवा नियंत्रक रहे हों।
- कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा दूसरे अन्य पक्षकारों के साथ संबंधः-

  -कंपनी, अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों में शेयरधारिता अथवा मताधिकारों का विवरणः

  -कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों के साथ किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरणः

  -निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के भूतपूर्व नियोजकों एवं कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों के बीच किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरणः
- निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और आचरण संबंधी पूरा विवरणः-

  -क्या आवेदक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है;

  -धोखाधड़ी अथवा अन्य बेईमानी से संबद्ध रूप में किसी अपराध की कोई दोषसिद्धि;

  -निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों को निदेशक के रूप में अथवा किसी कंपनी अथवा संगठन के प्रबंधन में कार्य करने से कभी अयोग्य ठहराया गया है;

-क्या निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों को कभी किसी विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस अथवा प्राधिकार देने से अस्वीकृत किया गया है (अथवा उसे वापस लिया गया है);

- किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा कोई निंदा की गई है अथवा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है;
- पद अथवा नियोजन से कोई बरखास्तगी, निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के नियोजक द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की अधीनता अथवा किसी व्यवसाय अथवा पेशे में प्रवेश से कभी अस्वीकार किया गया है;
- पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐसा कोई मुकदमा रहा है जिसमें निदेशक और प्रमुख व्यक्ति संबद्ध रहे हैं;
- क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी किसी नियोजक, कंपनी अथवा संगठन की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हों
- क्या किसी कंपनी अथवा संगठन, जिसके साथ निदेशक और प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक, शेयरधारक अथवा नियंत्रक के रूप में संबद्ध रहे हों, का कभी समापन किया गया है, कभी वह रिसीवरशिप की स्थिति में आ गया है अथवा जब निदेशक और प्रमुख व्यक्ति उसके साथ संबद्ध थे तब अथवा निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों की संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर उसने व्यापार करना समाप्त किया है।

टिप्पणी वाले स्तंभ में कृपया उल्लेख करें कि क्या कोई निदेशक भारत में अथवा किसी विदेश में किसी बीमा कंपनी (अथवा पुनर्बीमाकर्ता) का एजेंट, दलाल, कोई दूसरा मध्यवर्ती, निदेशक अथवा कर्मचारी है अथवा भारत में अथवा किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है।

22. वित्तीय पूर्वानुमान

वित्तीय पूर्वानुमानों और धारणाओं के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए (वित्तीय विवरण परिचालन प्रारंभ करने से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए अलगःअलग प्रस्तुत किये जाएँ)। इनके अंतर्गत निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाना चाहिएः

- व्यवसाय का परिमाण।
- सहायक और प्रशासनिक स्टाफ का आकार।
- प्रीमियम आय।
- निवेश आय।
- कमीशन और अन्य विक्रय संबंधी व्यय।
- प्रशासन संबंधी व्यय।
- आयकर और अन्य कर।
- सांविधिक आरक्षित निधियाँ।
- अपेक्षित शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन।

- लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र।
- पूँजीगत आवश्यकताएँ।
- लाभ-अलाभ अवधियाँ और पूँजी पर प्रतिलाभ।

इस खंड में उस तरीके के संबंध में भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी।

23. **पिछले आवेदन का विवरणः** क्या आवेदक ने कभी भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है अथवा पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है? यदि ऐसा है तो ब्योरा प्रस्तुत करें।

24. **निष्कर्षः** निष्कर्ष के तौर पर आवेदन में परिचालनों की व्यवहार्यता/ अर्थक्षमता के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए। यदि कोई विशेष विषय अथवा सरोकार हों तो उनके बारे में भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रमाणीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदक की ओर से इस आवेदनपत्र में दिये गये तथ्य सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थानः

दिनांकः

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर2

पंजीकरण के लिए आवेदन

1. भौगोलिक विस्तारः प्रशासनिक कार्यालय और अन्य कार्यालयों का पता दें। कृपया वे देश, अधिकार-क्षेत्र और क्षेत्र प्रस्तुत करें जिन्हें शाखा कार्यालय समाविष्ट करेगा।

2. बाजार अनुसंधान और विश्लेषण

आवेदक ने बाजार में विक्रय संभाव्यता का पता लगाने के लिए किसी न किसी रूप में बाजार विश्लेषण किया होगा। आवेदक उक्त अनुसंधान का पूरा विवरण, प्राप्त निष्कर्षों के साथ प्रस्तुत करे।

3. प्रस्तावित की जानेवाली पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार

आवेदक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के उन प्रकारों का विवरण दे, जो वह भारतीय और विदेशी बाजारों के लिए प्रस्तावित करेगा ताकि उसे एक क्षेत्रीय केन्द्र बनने में समर्थ किया जा सके।

4. जोखिम-अंकन

इस खंड में प्रस्तावों आदि के जोखिम-अंकन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण का विवरण दिया जाना चाहिए। कृपया विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकन एवं जोखिम-अंकनकर्ताओं के प्रशिक्षण और स्थानीय व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन में उपलब्ध कराई जानेवाली सहायता का स्वरूप भी बताएँ।

5. निवेश

प्रत्येक कंपनी ने अपना निवेश दर्शन स्थापित किया होगा जो उन उत्पादों के लिए उपयुक्त होगा जिनका विपणन वह बाजार में करना चाहती है। इसका विवरण दिया जाए। अन्य सूचना के अंतर्गत निवेश कार्मिक, निवेश परामर्शदाता (यदि आउटसोर्स किया जाता है तो), निवेश परिचालनों का स्थान, प्रयुक्त किये जानेवाले

निवेश दलाल, आदि तथा निवेश से संबंधित विनियम, मूल्यांकन, एक्पोज़र – विवेकपूर्ण – प्रावधानीकरण के मानदंड सम्मिलित किये जाने चाहिए।

6. सूचना प्रौद्योगिकी

बीमा उद्योग बहुत कुछ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। निम्नलिखित का पूरा विवरण दिया जाना चाहिएः

- विभिन्न क्षेत्र जहाँ कंप्यूटर प्रणालियाँ प्रयोग में लाई जाएँगी।
- प्रणालियों की अंतर-संबद्धता की मात्रा।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की प्रणालियों का प्रयोग अपेक्षित प्रबंध सूचना प्रणाली को विकसित करने में कैसे किया जाएगा, इसका विवरण।
- वे कार्यविधियाँ और परिचालन जो अयांत्रिक (मैनुअल) रह जाएँगे।

7. प्रतिधारण सीमाएँ और पुनर्बीमा

निम्नलिखित ब्योरा देते हुए पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के स्वरूप का विवरण पूर्णतः दिया जाना चाहिएः

- पुनर्बीमे का आधार।
- पुनर्बीमे की शर्तें।
- प्रधान कार्यालय से पुनर्बीमे की सहायता की विधि।

8. भर्ती और प्रशिक्षण

कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कौशल की प्रवृत्तियों से युक्त कार्मिकों की आवश्यकता होगी। कुछ विशेष प्रकार के तकनीकी कौशल के लिए विशेष फोकस अपेक्षित होगा। कंपनी को चाहिए कि वह तकनीकी कौशल और ज्ञान का प्रशिक्षण स्थानीय तौर पर देने के लिए अपनी योजनाओं के संबंध में एक विस्तृत आलेख (राइट-अप) प्रस्तुत करे।

9. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी को विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्यविधियों और मानदंडों का सेट स्थापित करने की आवश्यकता होगी। किस विधि से इनकी निगरानी की जाएगी, इसका विवरण दिया जाना चाहिए।

10. प्रशासन के व्यय

प्रस्तावित व्यय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में।

11. तकनीकी कौशल

उन लोगों का तकनीकी कौशल जो शाखा कार्यालय में कार्य करेंगे तथा स्थानीय तौर पर कौशल-उन्नयन हेतु जानकारी देने के लिए योजना।

प्रमाणीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदक की ओर से इस आवेदनपत्र में दिये गये तथ्य सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थानः

दिनांकः

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर3

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्राधिकरण की मुहर)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या __________

प्रमाणित किया जाता है कि (विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का नाम और उसके शाखा कार्यालय का पता) को आज के दिन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया है।

आज _________ दिन, ______________ माह, दो हजार ____________ को प्राधिकरण की मुहर के अधीन प्रदान किया गया है।

अनुसूची

श्रेणियाँ जिनके संबंध में व्यवसाय किया सकता हैः-

1. _________________________________

फार्म आईआरडीएआई/पुनर्बीमा/आर4

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने के लिए आवेदन

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता निम्नलिखित फार्मेट में इसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगाः

सेवा में,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
हैदराबाद

अनुरोध है कि आप हमें पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करें जिसके लिए हम निम्नलिखित विवरण देते हैः

1. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का नामः
2. पंजीकरण संख्याः
3. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीखः
4. मूल प्रमाणपत्र कैसे खो गया है, नष्ट किया गया है अथवा कटा-फटा है?
5. शुल्क के विप्रेषण का ब्योरा

भवदीय,

स्थानः

दिनांकः **मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षरः**

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम)(मुहर)

टिप्पणियाः 1. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के निर्गम के लिए बोर्ड के संकल्प की मूल प्रति दो प्रतियों में संलग्न करें।

2. पाँच हजार रुपये के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के नाम आहरित माँग ड्राफ्ट (डीडी) अथवा आईआरडीएआई के खाते में उक्त राशि के इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का प्रमाण संलग्न करें।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./161/15**]**

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 19th October, 2015

Insurance Regulatory Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015

F.No.IRDAI/Reg/17/107/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with 114A of the Insurance Act, 1938, and sections 14 read with 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions. ---In these regulations, unless the context otherwise requires:

(a) 'Act' means the Insurance Act, 1938;

(b) 'Applicant" means a foreign company engaged in reinsurance business other than Lloyd's.

(c) 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999);

(d) "Branch Office of foreign reinsurer" means an applicant who has been granted certificate of registration by the Authority under these regulations to transact reinsurance business.

(e) "Net Owned Fund (NOF)" shall consist of

i) paid up equity capital,
ii) free reserves,
iii) securities premium account
sum of which is reduced by
iv) accumulated losses,
v) book value of intangible assets,

The Net Owned Fund should be computed on the basis of last audited Balance Sheet and any capital raised after the Balance Sheet date should not be accounted for while computing NOF.

(f) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules, Regulations issued under those Acts, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF BRANCH OFFICES OF FOREIGN REINSURERS OTHER THAN LLOYD'S

3. **Procedure for registration** (1) An applicant desiring to carry on reinsurance business through its branch office shall make a requisition for registration application in Form IRDAI/Reins/ R1.

(2) An applicant, whose requisition for registration application has been accepted by the Authority, shall make an application in Form IRDAI/Reins/R2 for grant of a certificate of registration for carrying on reinsurance business.

4. **Requisition for registration application** - An applicant shall make a requisition for registration application under regulation 3 for reinsurance business in any one of the following:

a) Category I - those with the order of preference of cessions at par with the Indian Reinsurer(s).

b) Category – II – Others.

5. **Eligibility criteria -** The Authority may consider requests for requisition for registration application from applicants to set-up branch offices in India on being satisfied that:

a) The applicant has obtained the prior approval or an in-principle clearance from the home country regulator at the time of filing the application with the Authority.

b) The applicant shall be registered or certified in a national regulatory environment and with whom the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement.

c) The Net Owned Fund of the applicant shall not to be less than the prescribed amount of rupees five thousand crore at any time.

d) The applicant shall have a minimum credit rating which is having at least good financial security characteristics from any of the internationally renowned credit rating agencies for the last 3 years.

e) The applicant shall have been in reinsurance business for at least 10 years.

f) The applicant shall have a solvency margin as stipulated by the home regulator.

g) The applicant shall infuse a minimum assigned capital of rupees one hundred crore into the branch office.

h) Any other requirement that may be specified by the Authority from time-to-time.

6. The Authority may take a decision on the number of reinsurers that may be permitted to set-up branches in a year keeping in view the orderly growth of the insurance and reinsurance market, national interest, and any other related aspects.

7. **Requisition for Registration Application**.—(1) An applicant shall be eligible to apply for requisition, if such applicant upon registration will be an insurer as defined in section 2(9)(d) of the Act:

Provided that the applicant whose,-

(i) requisition for registration application has been rejected by the Authority at any time during the preceding three financial years on the date of requisition for registration application; or

(ii) application for registration has been rejected by the Authority at any time during the preceding three financial years on the date of requisition for registration application; or

(iii) certificate of registration has been cancelled or withdrawn by the Authority in the preceding three years;

shall not be eligible to make a requisition for registration application under these regulations.

(2) Every requisition for registration application by the applicant shall be accompanied by:

(a) a certified copy of the Memorandum of Association and Articles of Association or a corresponding document which details the manner of formation and conduct of its business;

(b) the name, position, address and the occupation of the person proposed to be in-charge of the operations in India;

(c) a statement indicating infusion of the assigned capital as may be specified by the Authority from time-to-time;

(d) a certified copy of the annual report of applicant for the last five years preceding the year of filing of requisition for registration application

(e) copy of the certificate from the home country regulator that the reinsurer has the necessary permissions to open a branch office in India.

(f) a letter of comfort from the applicant supported by the resolution from its Board of Directors or the executive committee of Management, as applicable, that it shall meet all the liabilities of the branch office at all times.

(g) any other requirement that may be specified by the Authority from time-to-time.

8. **Furnishing of further information and clarification, etc**. - The Authority may require the applicant, to furnish further information or clarification regarding the matters relevant to consider the requisition for registration application.

9. **Consideration of requisition for registration application**.- (1) The Authority shall take into account all matters relating to carrying on the business of reinsurance by the applicant while considering its requisition for registration application.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Authority shall consider the following matters, namely:-
   (a) the general track record of conduct and performance of applicant in the field of business/profession they are engaged in;
   (b) the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the applicant;
   (c) the proposed infrastructure of the branch office, to effectively carry out the reinsurance business;
   (d) the proposed business plan for the five succeeding years
   (e) other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.

(3) The Authority on being satisfied with the information submitted that -

(a) the requisition in Form IRDAI/ Reins/ R1 is complete and correct in all respects and is accompanied by all documents required therein;

(b) the branch office of the applicant will carry on all functions in respect of the reinsurance business;

may accept the requisition and direct supply of the application for registration to the applicant.

10. **Rejection of requisition for registration application -**(1) Where the requirements under regulation 9 are not complied with, the Authority may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, reject the requisition for registration application.

(2) The order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated by the Authority within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the ground on which the requisition for registration application has been rejected.
(3) An applicant aggrieved by the decision of the Authority under sub-regulation (2) may, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the decision is received, appeal to the Securities Appellate Tribunal (SAT) for reconsideration of the decision.

CHAPTER III

11. **Application for registration –** (1) An applicant, whose requisition for registration application, has been accepted, may make an application in Form IRDAI/ Reins/ R2 for grant of certificate of registration.

(2) Every such application shall be accompanied by---

(a) documentary proof of evidence of having rupees one hundred crore or more assigned capital;

(b) an affidavit by the person authorised by the Board of Directors or the executive committee of Management, of the applicant, as the case maybe, certifying that the requirements of the assigned capital have been satisfied;

(c) an affidavit by the applicant certifying that the requirements of section 6(2) of the Act to the effect that Net Owned Fund of the company is above rupees five thousand crore, have been satisfied;

(d) the receipt showing payment of non-refundable registration fee of rupees five lakh;

(e) a certificate from a practising chartered accountant or a practising company secretary certifying that all the requirements relating to registration fees, assigned capital and other requirements of the Act have been complied with by the applicant;

(f) any other information required by the Authority during the processing of the application for registration.

12. Consideration of Application.-(1) The Chairperson of the Authority shall take into account for considering the grant of certificate, all matters relating to carrying on the business of reinsurance by the branch office of the applicant.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Chairperson of the Authority shall consider the following matters for grant of certificate to the applicant, namely:-

(a) the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the applicant;

(b) the proposed infrastructure of the branch office of applicant;

(c) the proposed underwriting skills that will be transferred to the branch office;

(d) other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.

(3) The Chairperson of the Authority on being satisfied that---

(a) the application in Form IRDAI/Reins/R2 is complete in all respects and is accompanied by all documents required therein;

(b) the applicant shall carry on the reinsurance business as may be specified;

may accept the application for registration of the applicant.

13. Rejection of application for registration.—(1) Where an application for registration is not complete in all respects and does not conform to these regulations or instructions specified in Form IRDAI/Reins/ R2, and after considering the matter referred to in regulations 11, 12 and 15 and on being satisfied that it is not desirable to grant a certificate of registration the Chairperson of the Authority, by an order, may reject the application:

Provided before rejecting the application the applicant is given a reasonable opportunity of being heard by the Chairperson of the Authority.

(2) The order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated by the Chairperson of the Authority within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the ground on which the application has been rejected.

(3) An applicant aggrieved by the decision of the Chairperson of the Authority under sub-regulation (2) may, within a period of forty-five days from the date on which the copy of the decision is received, appeal to the SAT for reconsideration of the decision.

14. Manner of payment of fee for registration - The non-refundable fee of rupees five lakh shall be remitted by a bank draft issued by any scheduled bank in favour of the Insurance Regulatory and Development Authority of India or by recognised electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India.

15. Grant of certificate of registration - The Chairperson of the Authority, after making such inquiry as it deems fit and on being satisfied that –

(a) the applicant is eligible, and in his/ her opinion, is likely to meet effectively its obligations imposed under the Act;

(b) the financial condition and the general character of management of the applicant are sound;

(c) the volume of business likely to be available to and earning prospects of, the applicant will be adequate;

(d) the interests of the general public will be served if the certificate is granted to the applicant in respect of the class of reinsurance business specified in the application;

may register the applicant as a branch office of foreign reinsurer for reinsurance category as specified in Regulation 4 of these regulations for which the applicant is found suitable and grant the applicant a certificate in Form IRDAI/Reins/ R3.

16. Conditions governing the registration of branches of foreign reinsurers

While considering the grant of certificate of registration for branch offices of applicants, the Chairperson of the Authority shall stipulate the following conditions:

a. The applicant shall furnish a duly certified copy of the resolution of the Board of Directors or the executive committee of Management of the applicant, as the case may be, in support of the commitment given in the letter of comfort.

b. The branch office shall be capable of underwriting risks and settling claims.

c. The minimum assigned capital shall be invested in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 as amended from time-to-time.

d. The applicant shall make a firm commitment to appoint in its branch office in India, sufficiently skilled staff to underwrite specialized classes of business and that the underwriting of Indian business shall take place at the Indian branch.

e. The applicant shall make a commitment to organise training of Indian underwriters in handling various classes of business.

f. The branch office of the applicant shall comply with the requirements of Foreign Exchange Management Act, 1999 and any other law in force governing the operations of such office.

g. The branch office shall follow the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999, Rules, Regulations, circulars, guidelines, etc in its operations to the extent applicable.

17. Time Limit: An applicant who has been granted a certificate of registration under these Regulations shall commence reinsurance business for which he has been authorised within twelve months of the date of registration:

Provided, however, that if the branch office is not be able to commence the reinsurance business within the specified period of twelve months, it can, before the time limit expires, seek an extension, by a proper written application, to the Chairperson of the Authority.

a) The Chairperson of the Authority on receipt of the request will examine it and communicate the decision in writing either rejecting the request or granting it.
b) No extension of time shall be granted by the Chairperson of the Authority beyond eighteen months from the date of grant of certificate of registration under Regulation 15.

CHAPTER IV

18. Manner of computation of annual fee. – (1) A branch office of a foreign reinsurer which has been granted a certificate of registration under Section 3 of the Act shall pay an annual fee to the Authority by 31st day of December of each financial year.

(2) The annual fee shall be higher of

(a) five lakh rupees, or

(b) one twentieth of one percent of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India during the financial year preceding the year in which the annual fees is required to be paid subject to a maximum of rupees ten crore.

19. (1) If the branch office of foreign reinsurer fails to deposit the annual fee before the date specified in regulation 18, the Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee by way of penalty of :

a. Two per cent of the annual fee, if paid within 30 days from the specified date;
b. Ten per cent of the annual fee if paid before the end of financial year.

(2) Where the branch office of foreign reinsurer has failed to pay the annual fee before the end of the financial year then, certificate of registration shall be liable to be cancelled.

20. Manner of payment of annual fee - The annual fee shall be paid into the account of Insurance Regulatory and Development Authority of India. The annual fee shall be remitted by a bank draft issued by any Scheduled bank payable at Hyderabad or by any recognised electronic funds transfer mode.

21. Issue of duplicate certificate.--The Authority may, on receipt of fee of rupees five thousand, issue a duplicate certificate of registration to a branch office of the foreign reinsurer, if it makes an application to the Authority in Form IRDAI/Reins/ R4.

CHAPTER – V

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

22. Suspension or cancellation of Certificate of Registration.— (1) Without prejudice to any penalty which may be imposed or any action taken under the provisions of the Act, the registration of a branch office of foreign reinsurer who -

(a) conducts its business in a manner prejudicial to the interests of the policyholders or ceding insurers;

(b) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its reinsurance business;

(c) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;

(d) does not cooperate in any inquiry conducted by the Authority;

(e) indulges in manipulating the reinsurance business;

(f) indulges in unfair trade practices;

(g) fails, at any time, to comply with the provisions of Section 64VA of the Act as to maintain the excess of the value of assets over the amount of liabilities,

(h) is in liquidation or is adjudged as an insolvent,

(i) if the business or a class of the business has been transferred to any person or has been transferred to or amalgamated with the business of any other insurer without the approval of the Authority,

(j) makes default in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Act or of any rule or any regulation or order made or any direction issued there under,

(k) carries on any business other than reinsurance business or any prescribed business,

(l) makes a default in complying with any direction issued or order made, by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999,

(m) makes a default in complying with , or acts in contravention of, any requirement of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 or the Foreign Exchange Management Act, 1999 or the Prevention of Money Laundering Act, 2002,

(n) fails to pay the annual fee,

(o) is convicted of an offence under any law for the time being in force

may be suspended or cancelled for the category of reinsurance business for such period as may be specified by the Authority by an order:

Provided that the Authority for reasons to be recorded in writing may, in case of repeated defaults of the type mentioned above, impose a penalty of cancellation of certificate of registration.

(2) In the case of any branch office of foreign reinsurer, the Authority, may withhold registration already made, if it is satisfied that such a foreign reinsurer has been debarred by law or practice by the home country to carry on reinsurance business.

23. Manner of making order of suspension or cancellation of Certificate of Registration.—No order of suspension or cancellation shall be imposed except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in these regulations.

24. Manner of holding enquiry before suspension or cancellation.—(1) For the purpose of holding an enquiry under regulation 23, the Authority may appoint an enquiry officer.

(2) The enquiry officer shall issue to the branch office of foreign reinsurer a notice at the principal place of business.

(3) The branch office of foreign reinsurer may, within thirty days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply, together with copies of documentary or other evidence relied upon by it or sought by the Authority.

(4) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of being heard to the branch office of foreign reinsurer to enable it to make submissions in support of its reply made under sub-regulation (3).

(5) If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Authority to appoint a presenting officer to present its case.

(6) The branch office of foreign reinsurer may either appear through an authorised employee or through any other person duly authorised by it before the enquiry officer:

Provided that no advocate shall be permitted to represent the branch office of foreign reinsurer at the enquiry:

Provided further that where an advocate has been appointed by the Authority as the presenting officer under sub-regulation (5), it shall be lawful for the branch office of foreign reinsurer to present its case through an advocate.

(7) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the branch office of foreign reinsurer, submit a report to the Authority and recommend the penalty to be awarded as also the justification of the penalty proposed.

25. Show-cause notice and order :-(1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the same and if considered necessary by it, issue a show-cause notice as to why action as it considers appropriate should not be initiated.

(2) The branch office of foreign reinsurer shall, within twenty-one days of the date of receipt of the show-cause notice, send a reply to the Authority.

(3) The Authority after considering the reply to the show-cause notice, if received, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, if any, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by the branch office of foreign reinsurer within twenty-one days of the notice, the Authority can proceed to decide the issue ex parte.

(4) An order passed under sub-regulation (3) shall give reasons therefor including justification of the penalty imposed by that order.

(5) The Authority shall send a copy of the order made under sub-regulation (3) to the branch office of foreign reinsurer.

26. Effect of suspension or cancellation of Certificate of Registration- On and from the date of suspension or cancellation of the certificate, the branch office of foreign reinsurer shall cease to transact new reinsurance business.

27. Publication of order - The order of the Authority passed under sub-regulation (3) of regulation 25, shall be published in atleast two daily newspapers in the area where the branch office of foreign reinsurer has its principal place of business**.**

Chapter VI

OPERATIONS OF BRANCH OFFICES OF FOREIGN REINSURERS

28. Operational issues pertaining to branch office of foreign reinsurer:

The foreign reinsurer granted the certificate of registration by the Authority to transact reinsurance business as a branch office shall ensure that the following minimum requirements are addressed at all times and shall submit to the Authority the necessary approval of their Board of Directors or the executive committee of their Management, as the case may be:

1. Geographical Scope – The branch office of foreign reinsurer shall transact reinsurance business with Indian insurers, as well as reinsurance business outside India in accordance with their laid down underwriting policy.
2. Assigned Capital – The assigned capital of the branch office of foreign reinsurer shall not be less than the amount specified at the time of grant of certificate of registration This amount shall be invested in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time.
3. Appointment of Chief Executive Officer and other Key Management Personnel – The foreign reinsurer shall obtain prior approval of the Authority on the appointment, reappointment, removal and managerial remuneration payable to Chief Executive Officer of the branch office. The person so appointed shall satisfy the 'fit and proper' criteria stipulated by the Authority. The details of the Key Management Personnel along-with their bio-data shall be submitted as part of the registration process and any change subsequently shall be intimated to the Authority. For the purposes of these regulations, Key Management Personnel shall include Chief Financial Officer and Chief Underwriter.
4. Opening of additional offices: The branch office of the foreign reinsurer may open offices in different parts of the country with prior approval of the Authority giving the reasons, organization resources, reporting, supervision and control by the main administrative office. The Authority may grant or refuse permission depending on the merits of the case.
5. Outsourcing: The branch office of foreign reinsurer shall retain the core activities such as underwriting, claims settlement and regulatory compliances; and may outsource functions such as back-office servicing, investment, IT, accounts, marketing, human resources, administration and publicity. No other function can be outsourced without the prior approval of the Authority.
6. Accounting – The branch office of foreign reinsurer shall submit financial returns including statement of accounts in the manner as may be specified in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 as amended from time to time.
7. Investment- The branch office of the foreign reinsurer shall invest and keep invested the investible assets in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 in so far as they are applicable to Indian reinsurers.

   For the purpose of these regulations, "Investible Assets" include the following

   a. assets corresponding to the liabilities arising out of Indian reinsurance business or the amount of premium retained in the country of the Indian reinsurance business, whichever is higher, and
   b. Margin of solvency computed in accordance with the solvency regulations issued by the Authority.
8. Reinsurance & Retrocession:- (a) The branch office of the foreign reinsurer shall be subjected to the same reinsurance regulations as applicable to an Indian insurer and a reinsurer.

   (b) A branch office which has been granted certificate of registration as per Regulation 4(a)

   i) shall maintain a minimum retention of 50% of the Indian reinsurance business.

   ii) who fails to keep the minimum retention limit of 50%, notwithstanding penal action given in clause (d) below, shall obtain prior approval of the Authority to transact business in Category – II.

   iii) Such branch office granted approval under clause 8(b)(ii) above shall not be eligible for order of preference for cessions by Indian insurers as those available to Indian Reinsurer for a minimum period of 3 years, unless the branch office of foreign reinsurer has obtained specific prior approval of the Authority on an application seeking exemption from the 50% minimum retention limit.

   (c) A branch office which has been granted certificate of registration as per Regulation 4(b)

   i) shall maintain a minimum retention of 30% of the Indian reinsurance business.

ii) who fails to keep the minimum retention limit of 30%, notwithstanding penal action given in clause (d) below, shall not underwrite new reinsurance business from Indian insurance companies for a period of 3 years, unless the branch office of foreign reinsurer has obtained specific prior approval of the Authority on an application seeking exemption from the 30% minimum retention limit.

(d) Any breach of the specified limits shall be viewed as violation of these regulations and shall render the branch office liable for penal action as specified under the Insurance Act, 1938.

(e) The branch office of foreign reinsurer may place retrocession with a reinsurer having a minimum rating of good financial security characteristics from any of the internationally renowned credit rating agencies for the last 3 years.

9. Order of preference for cessions by Indian insurers – Every Indian insurer, in order of preference, shall offer for participation in its facultative and treaty surpluses:

(a) to the Indian Reinsurer or to those granted certificate of registration under Regulation 4(a) of these regulations or to other Indian insurers.

(b) to those granted certificate of registration as per Regulation 4(b) of these regulations, only after having offered to at least three entities in (a) above.

(c) to the offices of insurers set-up in Special Economic Zone, only after having offered to at least three entities in each of (a) and (b) above.

(d) the balance may then be offered to overseas reinsurers, only after having offered to at least three entities in each of (a), (b) and (c) above.

10. Solvency Margin – The branch office of foreign reinsurer shall prepare and submit statement of assets, liabilities and solvency margin requirements in the manner as may be specified in the IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 as amended from time to time.

11. Repatriation of surplus – Any repatriation of the surplus generated by the operations of the branch offices of foreign reinsurers shall be only with prior approval of the Authority. The Authority before granting such an approval shall obtain all relevant information and satisfy itself that the assets of the Branch office are adequate to meet their liabilities. In addition, the repatriation of surplus shall comply with the other requirement of RBI/ FEMA, as applicable.

12. Delegated authorities: The branch office of the foreign reinsurer shall provide systems and checks to ensure that delegated powers are exercised prudently and judiciously by the authorised officials and has no adverse fallout on the operations in India. The foreign reinsurer shall also review the delegated powers of functionaries at the branch office in India as regards adequacy of such powers to meet local operational requirements and the delegated authority. A copy of such review shall be filed with the Authority annually.

13. Supervision and Control: The foreign reinsurer shall review all control returns including the system of periodical reviews submitted by the branch office to ensure effective supervision and control and to monitor their continued viability. A copy of synopsis of the findings of the inspection / audit / scrutiny and compliance submitted by the branch and put up to the Audit Committee of the Board shall also be submitted to the Authority.

14. Other issues: The branch office of the foreign reinsurer shall immediately report to the Authority any regulatory or supervisory action taken by the home country regulator with full details and the penalty or any administrative action, if any imposed and the remedial steps taken by the foreign reinsurer to prevent its recurrence.

15. Reporting requirements by the branch office of the foreign reinsurer to the Authority- The branch office of the foreign reinsurer shall submit to the Authority the following reports as stipulated.

i. Financial reporting
ii. Actuarial reporting
iii. Business Reporting
iv. Downgrading Reporting: The branch office of the foreign reinsurer shall immediately report along-with relevant documents to the Authority any downgrade in rating by any internationally renowned credit rating agency.
v. Erosion of Net Owned Fund: The branch office shall immediately report to the Authority more than 5% erosion in the Net Owned Fund of the foreign reinsurer.

16. Returns: The Authority may specify submission of any such other return by the branch office of foreign reinsurer or the foreign reinsurer as it may deem appropriate.

17. Further powers of the Authority
    a. The Authority shall have the right to call, inspect or investigate any document, record or communication from the branch office of the foreign reinsurer.
    b. Notwithstanding the above, where the Authority is of the opinion that the operations of a branch office of the foreign reinsurer are not in the interests of the Indian insurance market, the Authority reserves the right to take appropriate steps including suspension or cancellation of certificate of registration after giving an opportunity to the foreign reinsurer of being heard.
    c. Any branch office of the foreign reinsurer opened with the approval of the Authority shall be closed only with the prior approval of the Authority and after surrender of certificate of registration.
    d. Any foreign reinsurer who has a representative office in India and is granted certificate of registration to function as a branch office, shall close the representative office within six months of grant of the certificate of registration.
    e. Power of the Authority to issue clarifications: In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications from time to time.

FORM IRDAI/ Reins/ R1

[REQUISITION FOR REGISTRATION APPLICATION FOR BRANCH OFFICE OF FOREIGN REINSURER OTHER THAN LLOYD'S]

1. Name of the applicant:
2. Address:
3. Date of incorporation of the applicant: [DD/MM/YYYY]
4. Registration No. (issued by the regulatory Authority of Foreign Country):
5. Line of reinsurance business: Life/ General/ Composite
6. Category applied for order of preference of cessions of the Indian insurers: □Category –I / □Category – II
7. Amount of Authorised capital and Face value of shares:
8. Name, Address and contact details of the person(s) responsible for the affairs of the Branch Office.
9. Name, Address and contact details of the Regulatory Authority where the applicant is registered.
10. Net Owned Fund of the foreign reinsurer as on _____ (latest financial year)
11. Credit rating for the last 3 years from any internationally renowned credit rating agencies.
12. No. of years that the foreign reinsurer has been active in the foreign reinsurance business
13. Permission from the home country regulator allowing establishing a branch office in India
14. Minimum Solvency Margin prescribed by the home regulator
15. Solvency margin of the applicant
16. Basis of calculating the solvency margin
17. Details of shareholders of foreign reinsurer: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the foreign reinsurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital of the applicant are to be given.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the shareholder is a company or a body corporate registered in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant.

18. **Applicant***:* This section should set out the background information. Following information should be included:

- Particulars of the foreign reinsurer (e.g. company name, address, names of directors, etc.).
- Nature of business, years in business of foreign reinsurer.
- Past record of regulatory interventions/restrictive directions in respect of foreign reinsurer.
- The applicant's reasons for entering the reinsurance market.
- Financial statements for the last five years. Strengths of the foreign reinsurer.
- Ratings by international credit rating agencies for the last 3 years excluding the year of making the application
- Indication of the degree of commitment to the Indian market place displayed by the applicant.
- The obligations undertaken by the foreign reinsurer.

19. The Branch Office Details

This section should provide the key aspects of the Branch Office. This will cover the following:

- Name of the Branch Office.
- Branch Office Address:
- Address for Communication (state the name of the Authorised person, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details:
- Chief Executive Officer & other Key Management Personnel and allocation of responsibilities.(Proposed)
- Organizational structure. Reporting relationships.

20. Capital structure

❑ Amount of Assigned Capital:

21. Details of Directors of the applicant and the person responsible for overseeing the branch office operations in India of foreign reinsurer i.e. Chief Executive Officer (CEO) and Chief Underwriter (CUO)/ Chief Financial Officer (CFO) etc., of the branch office of foreign reinsurer (Key Management Personnel):

Please furnish the particulars in separate sheets the pro forma given below:-

❑ Name (and any previous names)

❑ Private and Business Address (including any other private addresses within the last 15 years), current Telephone, Fax and E-mail Addresses:

❑ Date and Place of Birth

❑ Nationality (and any previous Nationality)

- ❑ Passport / Identity Card:

  --Number

  --Date and Place of Issue:

  --Date of expiry

  --Issuing Authority:

- ❑ Name and Address of Bank:

  --Account Numbers and Type of Account:

  --Details of any loans or guarantees issued to or on behalf of the company in which the Directors and Key Management Personnel have a management or shareholding interest

- ❑ Family Status

- ❑ Details and Dates of Academic Qualification:

- ❑ Details and Dates of Professional Qualification:

- ❑ Description of the prospective position (including responsibilities) and proposed date of commencement:

- ❑ Work Experience:

  -Existing and Previous Employers (covering last 15 years)

  -Details of whether the Directors and Key Persons and / or their Employers have been formally supervised or regulated

  -Nature of Employer's Business

  -Designation: (including duties and responsibilities)

  -Date of Appointment

  -Date of Resignation/Departure

  -Details of Other Business interests in the last 15 years where the Directors and Key Management Personnel have been a working shareholder, director or controller.

- ❑ Relationship with the Company or related Companies or other third parties:-

  -Details of shareholdings or voting powers in the company, or related Companies or third parties:

  -Details of any Business relationships with the company or related Companies or third parties:

  -Details of any Business relationships between the Directors and Key Management Personnel former employers and the company or related Companies or third parties:

- ❑ Full details on the Directors and Key Management Personnel reputation and character:-

  -whether the applicant has ever been declared bankrupt;

  -any convictions of any offence involving fraud or other dishonesty;

  -any disqualification of the Directors and Key Management Personnel from acting as a director or in the management of any company or organisation;

  -whether the Directors and Key Management Personnel have ever been refused (or had revoked) a licence or authorisation to carry on any regulated financial business;

- ❑ Any censure or disciplinary action initiated by any government, regulatory or professional body;

- ❑ Any dismissals from office or employment, subjection to disciplinary proceedings by the Directors' and Key Management Personnel's employer or been refused entry to any profession or occupation;

- ❑ Any litigation in which the Directors and Key Management Personnel have been involved over the last 5 years;

- Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel have been associated as a director, officer, manager or shareholder;
- Whether any company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel were associated as a director, officer, manager, shareholder or controller has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Directors and Key Management Personnel was associated with it or within one year after the Directors and Key Management Personnel so ceased to be associated.

In the Remarks column, please mention whether any director is an agent, broker, any other intermediary, director or employee of any other insurance company (or reinsurer) in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.

22. Financial Projections

A description of the model used for financial projections and assumptions should be provided, (financial projections for a period of 5 years separately, for each year from the commencement of operations). These should set out the following:

- Amount of business.
- Size of support and administrative staff.
- Premium income.
- Investment income.
- Commissions and other sales related expenses.
- Expenses of administration.
- Income tax and other taxes.
- Statutory reserves.
- Required solvency margins.
- Profit and loss accounts and balance sheets.
- Capital needs.
- Break-even periods and the Return on Capital.

This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.

23.Particulars of Previous Application: Has the applicant ever applied for registration or request for registration in India? If so, give particulars.

24.Conclusion: In conclusion, the application should discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated.

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date: Signature of the Authorised Person *(with seal)*

FORM IRDAI/Reins/ R2

APPLICATION FOR REGISTRATION

1. Geographic Spread: Give the address of the administrative office and other offices. Please furnish which countries, jurisdictions and territories the branch office will cover.

2. Market Research and Analysis

The applicant may have undertaken some form of market analysis to ascertain the market potential. The applicant may furnish full description of the research, along with the conclusions reached.

3. Types of Reinsurance arrangements to be offered

The applicant may give detail of the types of reinsurance arrangements that it will offer to the Indian and other markets in order to enable it to become a regional hub.

4. Underwriting

This section should describe the approach used for underwriting of proposals, etc. Please also state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters and upgradation of skills of the local persons by the foreign reinsurer.

5. Investments

Each company would have established its investment philosophy that will be appropriate for the products it intends to market. This should be described. Other information should include the investment personnel, investment adviser (if outsourced), location of the investment operations, investment brokers to be used, etc. and Regulations regarding Investment, Valuation, Exposure – Prudential – Provisioning Norms.

6. Information Technology

Insurance industry is very much dependent on computer technology. Full description should be provided of the following:

- The different areas where computer systems will be employed.
- The degree of interconnectivity of the systems.
- A description of how the IT systems will be used to develop the required Management Information System.
- Extent of procedures and operations which will remain manual.

7. Retention Limits and Reinsurance

The nature of reinsurance arrangements should be described fully, giving the following details:

- The basis of reinsurance.
- Terms of reinsurance.
- Manner of reinsurance support from head office

8. Recruitment and Training

Different areas of the company require personnel with different skill sets. Some of the special technical skills would require special focus. The company should submit a detailed write-up on its plans to impart technical skills and knowledge locally.

9. Internal Controls

The company will need to establish a set of procedures and norms for various activities. The manner in which these will be monitored should be described.

10. Expenses of Administration

The proposed expenses as a per cent of premium.

11. Technical skills

The technical skills of the people who will work in the branch office and plan for imparting knowledge for skill upgradation at local level.

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date: Signature of the Authorised Person (with Seal)

FORM IRDAI/ Reins/ R3

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Seal of the Authority)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number._________

This is to certify that (Name of Foreign Reinsurer with branch office address) has this day been registered in accordance with the provisions of sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact the classes of business specified in the Schedule below.

Given under the seal of the Authority at this _____________ day of __________ two thousand and ______________________________

Schedule

Classes of business which may be transacted:--

1.____________________________________

FORM IRDAI/ Reins/ R4

APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION

(A foreign reinsurer shall apply in the following format along-with with the documents specified herein:)

To

Insurance Regulatory and Development Authority of India.

Hyderabad

We request you to issue a duplicate certificate of registration for which we give below the following details:

1. Name of Foreign Reinsurer:
2. Registration Number:
3. Date of Certificate of Registration:
4. How original certificate has been lost, destroyed or mutilated?
5. Particulars of remittance of fee.

Place Yours truly,

Date: Signature of the Chief Executive Officer

(Name of the Chief Executive Officer) (With Seal)

Notes: 1. Enclose the original copy of the resolution of the board for the issue of duplicate certificate, in duplicate.

2. Enclose a DD for Rupees five thousand drawn in favour of Insurance Regulatory and Development Authority of India payable at Hyderabad or a proof of electronic funds transfer of the amount to the account of IRDAI.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty/161/15/(239)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.